

पत्रावली पेश हुई। वकील अधिवक्ता अनुप खिल
पत्रावली में वारी / वडी आदि को उपस्थित
हेतु व्यापार्य समय में रुक रुक कर आवक
लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं आए।
पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज
की जाती है। पत्रावली कैमल कुमार बेकर
दाखिल व फलद हो रिज